CITY OF PATNA

पटना नगर निगम

ब्लॉक–सी., चतुर्थ तल, मौर्यालोक कॉम्पलेक्स, डाक बंगला रोड, पटना–800001

पत्रांकः–6172 दिनांकः–25/05/2023

आदेश

बिहार भवन (संशोधन) उपविधि 2022 के आलोक में तकनीकी कर्मियों एवं बिल्डर के रजिस्ट्रेशन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ऑन-लाईन माध्यम से आवेदन प्राप्त किया गया है। प्राप्त आवेदनों के निष्पादन एवं निबंधन संबंधित कार्रवाई हेतु विभागीय कार्यालय संख्या–149 सहपठित ज्ञापांक–1814 दिनांक–24.04.2023 के द्वारा तकनीकी कर्मियों एवं बिल्डर के निबंधन हेतु गठित समिति द्वारा निम्न विवरण के अनुसार अनुशंसा नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक–08 न०वि० Empanelment-01/2022 न०वि० एवं आ०वि० **2147** दिनांक–18.05.2023 के माध्यम से की गई है।

Sl. No.	Name of Profile	Total Application Received	Recommended for Empanelment/Registration
1	Architect	330	225
2	Civil Engineer	713	195
3	Structural Engineer	226	67
4	Town Planner	35	17
5	Supervisor	158	74
6	Group Agency	6	0
7	Builder	678	216
	Total	**2146**	**794**

अतः नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक–08 न०वि० Empanelment-01/2022 न०वि० एवं आ०वि० **2147** दिनांक–18.05.2023 के माध्यम से अनुशंसित किये गये तकनीकी कर्मियों एवं भवन निर्माताओं को पटना नगर निगम के ऑटोमैप पोर्टल पर नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदन जमा करने की स्वीकृति इस शर्त्त पर प्रदान की जाती है कि अनुशंसित तकनीकी कर्मियों को Black List पाये/किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा नक्शा स्वीकृति हेतु जमा आवेदन पर बिहार भवन उपविधि 2014 यथा संशोधित 2022 के आलोक में नियमानूकुल कार्रवाई की जायेगी।

नक्शा निर्गत करने से पूर्व अनुशंसित वास्तुविदों के द्वारा विभाग से आवंटित Empanelment No. (Registration No. with Council of Architecture, New Delhi) तथा अन्य तकनीकी कर्मियों एवं भवन निर्माताओं के द्वारा विभाग से आवंटित Registration No. का उल्लेख किया जायेगा।

ह०/–
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम।

ज्ञापांकः–Dir/UP/M-87-27–............................ दिनांकः–..................................

प्रतिलिपिः– (1) सभी संबंधित कर्मचारी, शहरी योजना शाखा, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) श्री राहुल विश्वास, ऑटोमैप एडमिन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) आई०टीम, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आदेश दिया जाता है कि इसे पटना नगर निगम के Website पर Upload करना सूनिश्चित करें।

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम।